

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 813/2024

IN THE MATTER OF:


*NEWS ITEM TITLED "IRONY ON WORLD ENVIRONMENT DAY U.P.
FOREST CORPORATION TO AUCTION 400 GREEN TREES IN LUCKNOW
ON JUNE 5" APPEARING IN THE HINDUSTAN TIMES DATED 04.06.2024*

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	AFFIDAVIT BY DIVISIONAL FOREST OFFICER, LUCKNOW ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 2 IN COMPLAINEE OF ORDER DATED 03.02.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI	
2.	A COPY OF LETTER DATED 11.10.2023 IS ANNEXED HERewith AND MARKED AS ANNEXURE-1	
3.	A COPY OF LETTER DATED 11.10.2023 IS ANNEXED HERewith AND MARKED AS ANNEXURE-2	
4.	A COPY OF INSPECTION REPORT DATED 18.12.2023 IS ANNEXED HERewith AND MARKED AS ANNEXURE-3	
5.	A COPY OF THE FDR AND THE AFFIDAVIT IS	

	ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-4	
6.	A COPY OF LETTER DATED 22.02.2024 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-5	
7.	A COPY OF LETTER DATED 15.05.2024 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-6	
8.	A COPY OF LETTERS DATED 17.05.2024 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-7	
9.	A COPY OF THE INSPECTION REPORT DATED 18.05.2024 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-8	
10.	A COPY OF THE FDR IS ANNEXED HEREWITH AND MERKED AS ANNEXURE-9	
11.	A COPY OF LETTER DATED 08.05.2025 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-10	

THROUGH COUNSEL



BHANWAR PAL SINGH JADON

STANDING COUNCIL FOR THE STATE OF U.P. (NGT)

EMAIL- bhanwar09jadon@gmail.com

PHONE NO.- 6375115224

DATE: 09.05.2025

PLACE: NOIDA



BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 813/2024

IN THE MATTER OF:

NEWS ITEM TITLED "IRONY ON WORLD ENVIRONMENT DAY U.P. FOREST CORPORATION TO AUCTION 400 GREEN TREES IN LUCKNOW ON JUNE 5" APPEARING IN THE HINDUSTAN TIMES DATED 04.06.2024

AFFIDAVIT BY DIVISIONAL FOREST OFFICER, LUCKNOW ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 2 IN COMPLAINT OF ORDER DATED 03.02.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI

I, SITANSHU PANDEY, aged about 36 years, S/o Shri SACHCHIDA NAND PANDEY, posted as Divisional Forest Officer, Lucknow, Uttar Pradesh, do hereby solemnly affirm and state as under:

1. That I, SITANSHU PANDEY, Divisional Forest Officer, Lucknow, Uttar Pradesh, am fully conversant with the facts of the case and am competent and authorized to swear the present Affidavit.



2. That the present Original Application, registered suo-motu, the Tribunal is considering the issue of felling and auction of 400 green trees in Lucknow, Uttar Pradesh.
3. That the Hon'ble Tribunal vide order dated 03.02.2025 directed the Respondent no. 2 to file their reply. In compliance of the directions issued by the Hon'ble Tribunal, the reply on behalf of the Respondent no. 2 is as submitted below. The relevant paragraph of the order dated 03.02.2025 is stated as follows:

"...4. Issue Notice to the newly added Respondents. The Registry is directed to serve the above newly added Respondents who will have an opportunity to file the reply by way of affidavit within six weeks. Learned Counsel for Respondent No. 2 and 4 also seeks four weeks to file the reply way of affidavit.

5. XXXX

6. Learned Counsel for Respondent No. 2 and 4 is also directed to produce the original record leading to the passing of the order by the concerned Authority granting permission for the felling of 308 and 92 trees on the next date of hearing..."



That furthermore, the Hon'ble Tribunal, directed the submission of original records relating to the grant of permission for the **felling of 308 and 92 trees.**

4. U.P. STATE ROAD TRANSPORT CORPORATION- CONCERNING
92 TREES

- i. That vide letter dated 30.09.2023, the Regional Manager, U.P. State Road Transport Corporation (UPSRTC), Lucknow Zone, requested permission for the felling of 92 green trees which were obstructing a PPP construction project within the premises of the Regional Workshop at Vibhuthikhand, Gomtinagar, Lucknow.

A copy of letter dated 11.10.2023 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-1.**

- ii. The Divisional Forest Office, vide letter dated 11.10.2023, formed a joint committee comprising of the Service Manager, UPSRTC; Regional Forest Officer (Urban) and Sub-Divisional Forest Officer, Mohanlalganj. The joint committee was directed to inspect affected land/trees located on the premises, and prepare and submit a joint inspection report.



A copy of letter dated 11.10.2023 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-2.**

- iii. Subsequent correspondence dated 07.12.2023 by the DFO, Lucknow was made to the committee to provide the list of only obstructing trees. Consequently, joint inspection was conducted the Regional Manager and the Range Forest Officer (Urban), and a recommendation for permission for felling of 92 obstructing trees was submitted via letter dated 18.12.2023 through the Sub-Divisional Forest Officer, Mohanlalganj.

A copy of inspection report dated 18.12.2023 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-3.**

- iv. In accordance with the provisions of the U.P. Tree Protection Act, 1976 (as amended) and Government notification dated 07.01.2020 of the Department of Environment, Forest, and Climate Change, Government of U.P., for felling of 92 trees, a condition of 10 times compensatory plantation was imposed upon UPSRTC. That the UPSRTC was further directed to deposit FDR of ₹92,000.00 as security and an affidavit dated 29.01.2024 was also submitted by the Regional Director, UPSRTC, as security for plantation compliance.



A copy of the FDR and the affidavit is annexed herewith and marked as ANNEXURE-4.

v. Permission for felling was granted by the Divisional Forest Officer vide letter dated 22.02.2024, subject to the following conditions:

a. 10 times plantation with tree guards at applicant's expense i.e.

UPSRTC.

b. Validity of permission up to 30.03.2024.

c. Compliance with U.P. Timber Transit Rules, 1978.

A copy of letter dated 22.02.2024 is annexed herewith and marked as ANNEXURE-5.

vi. That it is categorically submitted that no tree felling or auction of timber was conducted by the Forest Department at the divisional level in respect of these 92 trees.

5. U.P. STATE INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY

(UPSIDA) – CONCERNING 308 TREES

i. That vide letter dated 15.05.2024, the Senior Manager (Civil), UPSIDA, sought permission for felling 308 trees obstructing the construction of buildings and sheds at the M/s Ashok Leyland premises located in the Sarojininagar Industrial Area, District



Lucknow. The request was made for felling of 83 trees in P-1; 195 trees in P-2; 30 trees in P-3 i.e. a total 308 trees in the proposed phase. A copy of letter dated 15.05.2024 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-6.**

- ii. That the Divisional Forest Officer, through letter dated 17.05.2024, requested joint inspections and submission of reports of only obstructing trees from the UPSIDA official, Range Forest Officer, Sarojininagar and Sub-Divisional Magistrate, Mohlanaganj.

A copy of letters dated 17.05.2024 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-7.**

- iii. Upon site inspection by the joint committee, vide letter dated 18.05.2024, a recommendation for felling of 308 obstructing trees was submitted by the Range Forest Officer through the Sub-Divisional Forest Officer, Mohanlalganj.

A copy of the inspection report dated 18.05.2024 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-8.**

- iv. That in accordance with the U.P. Tree Protection Act, 1976 (as amended) and Government Notification dated 07.01.2020, UPSIDA submitted an amount of Rs. 3,08,000.00 has been deposited as **FDR**



(Fixed Deposit Receipt) security towards compensatory plantation of 10 times the number of trees (i.e., for 308 trees) by the Senior Manager (Civil), Uttar Pradesh State Industrial Development Authority, Construction Division-Seventh, Kanpur Road, Lucknow, to the DFO, Lucknow.

A copy of the FDR is annexed herewith and merked as ANNEXURE-9.

- v. Thereafter, the Divisional Forest Office issued felling permission on 24.05.2024, with the following conditions:
- a. 10 times compensatory plantation at applicant's cost i.e. 3080 trees.
 - b. Compliance with the U.P. Timber Transit Rules, 1978.
- vi. It is again clarified that no felling or auction of timber was conducted at the divisional level by the Forest Department with respect to these 308 trees.

6. **STATUS OF COMPENSATORY PLANTATION**

- i. That a letter dated 27.03.2025 was issued by DFO, Lucknow to UPSIDA in reference of the permission granted for felling of 308 trees upon the condition that compensatory plantation of 3080 trees



shall be carried out by UPSIDA. Therefore, they were instructed to immediately provide the site-wise, species wise information where the compensatory plantation of 3080 trees have been done.

- ii. That vide letter dated 08.05.2025, in reference to the aforementioned letter, UPSIDA has informed the DFO, Lucknow that till date 2500 trees have planted in the year 2024-25 in the Telco Campus of Industrial Area, Chinhat, District Lucknow. The remaining plantation of 580 trees will be completed in the year 2025-26.

A copy of letter dated 08.05.2025 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-10.**

7. Hence, the present affidavit is being filed for the kind consideration and perusal of this Hon'ble Tribunal.

8. I state that everything stated above has been stated by me in my official capacity on and derived from the official records and I state that nothing material has been concealed therefrom.


DEPONENT



VERIFICATION

Verified at lucknow on this ___ day of 9th, 2025, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 8 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.


DEPONENT



ATTESTED
K.P. YADAV
NOTARY PUBLIC
L. 9 MAY 2025

कार्यालय सेवा प्रबन्धक
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम,
लखनऊ क्षेत्र, लखनऊ।



पत्रांक: 4578/ल0क्षे0/से0प्र0/पीपीपी-क्षेत्रीय कार्यशाला/वृक्ष पातन/2023

सेवा में,

प्रभागीय वन अधिकारी
अवध वन प्रभाग
सेक्टर-25, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

विषय:- उ0प्र0 परिवहन निगम, क्षेत्रीय कार्यशाला, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ में लगे वृक्षों के पातन कार्य के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- विभूति खण्ड, गोमतीनगर (लखनऊ) बस स्टेशन का पी0पी0पी0 मॉडल पर निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र संख्या: 203 पीपीपी सेल/2023-178पीपीपी/2023 दिनांक 27.09.2023 (छाया प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अपर प्रबन्ध निदेशक महोदया, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ द्वारा उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, क्षेत्रीय कार्यशाला, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को शासन की उच्च वरीयता प्राप्त परियोजना पीपीपी के अन्तर्गत पुर्ननिर्माण कराये जाने हेतु परिसर में लगे वृक्षों को हटवाये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं, उक्त निर्देशों एवं पीपीपी के तहत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु क्षेत्रीय कार्यशाला के परिसर में लगे वृक्षों को कटवाया जाना अतिआवश्यक है।

उपरोक्त के क्रम में अवगत कराना है कि क्षेत्रीय कार्यशाला की भूमि उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम की सम्पत्ति है, जो लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ से प्राप्त है, जिसकी प्रमाणित सेल डीड की छाया प्रति, गृहकर एवं जलकर सीवरकर की छाया प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। उक्त कार्य हेतु कार्यालय के श्री रोहित श्रीवास्तव, कार्यालय सहायक द्वितीय, जिनका मोबाइल नम्बर 7017351408 है, से किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा किसी निर्देश हेतु निर्देशित किया जा सकता है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि उ0प्र0 शासन की शीर्ष वरीयता प्राप्त परियोजना पीपीपी के अन्तर्गत निर्माण कार्य को गति प्रदान किये जाने हेतु परिसर में लगे वृक्षों का सर्वे कराते हुए पेड़ों की कटाई की अनुमति प्रदान करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

1924
22-10
6/10/23

भवदीय

(विनोद कुमार)
सेवा प्रबन्धक

R/C
10/10/23

DFD
10/10/23

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रधान प्रबन्धक (पीपीपी), परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
- 2- अधिशासी अभियन्ता (प0), परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
- 3- सहायक अवर अभियन्ता (भवन खण्ड), उ0प्र0 परिवहन निगम लखनऊ क्षेत्र।
- 4- क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 परिवहन निगम, लखनऊ क्षेत्र।

कार्यालय सेवा प्रबन्धक

व्य

उप प्रभागीय वनाधिकारी
लखनऊ

(विनोद कुमार)
सेवा प्रबन्धक

ANNEXURE-2



कार्यालय दूरभाष सं०: 0522-2716723
ई-मेल : dfolucknow@gmail.com
dfolu-up@nic.in

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
पत्रांक-2795/22-10, लखनऊ, दिनांक 11-10-2023.

सेवा में,

सेवा प्रबन्धक,
उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम
लखनऊ क्षेत्र, लखनऊ।

विषय:- उ०प्र० परिवहन निगम, क्षेत्रीय कार्यशाला विभूतिखण्ड गोमतीनगर लखनऊ में लगे वृक्षों के पातन अनुमति हेतु संयुक्त निरीक्षण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक-4578/ल०क्षे०/पीपीपी-क्षेत्रीय कार्यशाला/वृक्ष पातन/2023, दिनांक 30.09.2023।

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उ०प्र० परिवहन निगम, क्षेत्रीय कार्यशाला विभूतिखण्ड गोमतीनगर लखनऊ में लगे वृक्षों के पातन अनुमति हेतु अनुरोध किया गया है, जिसके कम में संयुक्त निरीक्षण हेतु दिनांक 17-10-2023 निर्धारित की जाती है। कृपया क्षेत्रीय वन अधिकारी शहरी जिनका सी०यू०जी० मोबाइल नं० 7839434282 है, से सम्पर्क या आपसी सहमति से प्रभावित भूमि/वृक्षों की संयुक्त निरीक्षण कराकर "संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट" मध्य हस्ताक्षर सहित उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

(डा० रवि कुमार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अवध वन प्रभाग, लखनऊ।

पत्रांक-2795/22-10, तददिनांकित.

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सन्दर्भित पत्र संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-उप प्रभागीय वनाधिकारी, मोहनलालगंज।

2-क्षेत्रीय वन अधिकारी शहरी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त निर्धारित तिथि या आपसी सहमति से प्रभावित वृक्षों का संयुक्त निरीक्षण कर निर्धारित प्रपत्र में नयस्वामित्व संस्तुति सहित आख्या एवं मूल्यांकन सूची/सारांश उप प्रभागीय वनाधिकारी मोहनलालगंज के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-उपरोक्त

(डा० रवि कुमार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अवध वन प्रभाग, लखनऊ।

Devi
Nakul Singh
971800726

उपप्रबन्धक
उप प्रभागीय वनाधिकारी
लखनऊ

वृक्ष के स्वामित्व की स्थिति- वन विभाग

वृक्ष से सम्बन्धितस्थल की वैधानिकस्थिति-संरक्षितवन/आरक्षितवन/अन्य नगर निगम की शक्ति

जांच का दिनांक-06-11-23

क्र० सं०	वृक्ष की प्रजाति	वृक्ष की गोलाई (सेमी० में)	व्यासवर्ग	भौतिकदशा	वृक्ष पातनकियेजाने का कारण
1	2	3	4	5	6
1	अशोक	1.10	30-40	हरा-खड़ा	ब्रक्ष कम्पार्टमेंट 1 के गेट की एंट्री पर बाधक है
2	मौलश्री	0.20	0-10	हरा-खड़ा	ब्रक्ष कम्पार्टमेंट 1 के गेट की एंट्री पर बाधक है
3	मौलश्री	0.22	0-10	हरा-खड़ा	ब्रक्ष कम्पार्टमेंट 1 के गेट की एंट्री पर बाधक है
4	मौलश्री	0.18	0-10	हरा-खड़ा	ब्रक्ष कम्पार्टमेंट 1 के गेट की एंट्री पर बाधक है
5	मौलश्री	0.30	0-10	हरा-खड़ा	ब्रक्ष कम्पार्टमेंट 1 के गेट की एंट्री पर बाधक है
6	मौलश्री	0.15	0-10	हरा-खड़ा	ब्रक्ष कम्पार्टमेंट 1 के गेट की एंट्री पर बाधक है
7	अशोक	1.60	50-60	हरा-खड़ा	ब्रक्ष कम्पार्टमेंट 1 के गेट की एंट्री पर बाधक है
8	मौलश्री	0.22	0-10	हरा-खड़ा	ब्रक्ष कम्पार्टमेंट 1 के गेट की एंट्री पर बाधक है
9	मौलश्री	0.15	0-10	हरा-खड़ा	ब्रक्ष कम्पार्टमेंट 1 के गेट की एंट्री पर बाधक है
10	मौलश्री	0.15	0-10	हरा-खड़ा	ब्रक्ष कम्पार्टमेंट 1 के गेट की एंट्री पर बाधक है
11	अशोक	1.30	40-50	हरा-खड़ा	ब्रक्ष कम्पार्टमेंट 1 के गेट की एंट्री पर बाधक है

92 ब्रक्ष कम्पार्टमेंट 1 में भवन निर्माण में बाधक है व 11 ब्रक्ष कम्पार्टमेंट 1 के गेट की एंट्री पर बाधक है अतः ब्रक्षों के पातन की संस्तुति की जाती है।

जांचअधिकारी के हस्ताक्षर
नाम व पदनामसहित
27/06/2023

कार्यालय क्षेत्रीय वनाधिकारी, शहरीरेंज, अवध वनप्रभाग, लखनऊ।
पत्रांक 674/22-1 शहरीरेंजदिनांक 10-12-23

सेवामें,
प्रभागीय वनाधिकारी,
अवध वनप्रभाग, लखनऊ।
द्वारा:- उप प्रभागीय वनाधिकारी, मोहनलालगंज।
महोदय,

से0 अधिकारी की जांचआख्या से सहमति व्यक्त करतेहुए रिपोर्ट मूल में संस्तुति सहित अग्रिमकार्यावाही हेतु प्रेषित।

ज. व. अ. महोदय

कार्यालय प्रभुपति
उप प्रभागीय वनाधिकारी

Sam
Rochny

क्ष. व. अ. रिपोर्ट की जांच रिपोर्ट में
आख्या पर उपरोक्त वृक्षों के पातन

पंजाब नैशनल बैंक Punjab National Bank

पंजाब नैशनल बैंक का प्लॉट संख्या-4, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली H.O. Plot No., 4, Sector-10, Dwarka, New Delhi www.pnbindia.in

जमा पुष्टि

CONFIRMATION OF DEPOSIT

शाखा क्रमांक / Branch No.	244900	आहक आई.डी. सं. / Customer ID No.	700910118	खाता सं. / Account No.	24000010022878	2100670	परिचालन का तरीका / Mode of Operation
---------------------------	--------	----------------------------------	-----------	------------------------	----------------	---------	--------------------------------------

PRABHAGIYE VANADHIKARI AVADH VAN PRABHAG LUCKNOW

श्री/श्रीमती/कुमारी/अन्य/Received from Sh./Smt./Ms./Others
SAPRU MARG, LKO, LUCKNOW, UTTAR PRADESH

निवासी / Resident of
1-03, 000, BORS

₹	One Lakh Three Thousand only	for a period of	3 yrs	की अवधि के लिए at the rate of	6.50%	प्रतिवर्ष की दर से per annum
---	------------------------------	-----------------	-------	----------------------------------	-------	---------------------------------

रुपये / Rupees

जारी करने की तिथि / Date of Issue	02-05-2024	प्रभावी तिथि / Validity	02-05-2024	परिपक्वता की तिथि / Date of Maturity	02-05-2027	परिपक्वता मूल्य / Maturity Value	₹ 1,30,000.00
-----------------------------------	------------	-------------------------	------------	--------------------------------------	------------	----------------------------------	---------------

FD - SUGAM DEPOSIT (SUM)	Repayment shall be credited to A/c No.	नामनिर्देशन / Nomination
--------------------------	--	--------------------------

Pan Number: ANATU3009H

PUNJAB NATIONAL BANK
 508
 5720823
 5/10/2024

हम आपसे उपरोक्त जमा राशि स्वीकार करने की पुष्टि करते हैं।
 We confirm having accepted from you the above deposit.

महत्वपूर्ण सूचना के लिए कृपया पृष्ठ के पीछे देखें।
 Please see on reverse for Important Information.

आधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (जीबीपीए सं.)
 Authorised Signatory (GBPA No.)

PNB-1159/LOT NO.03/MAY23/200/OMSAI

काया प्रमाणित
 रूप प्रभागीय वनाधिकारी
 लखनऊ

भारतीय नैतिक पत्र

दस
रुपये

₹.10

TEN
RUPEES

Rs.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

UTTAR PRADESH

81AE 610467



समक्ष : सक्षम अधिकारी / प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, लखनऊ।

शपथ पत्र

मैं आर०के० त्रिपाठी आयु लगभग 58 वर्ष पुत्र श्री भवानी प्रसाद त्रिपाठी, क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ क्षेत्र, लखनऊ शपथ पूर्वक निम्न लिखित बयान करता हूँ :-

1. यह कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम क्षेत्रीय कार्यशाला, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ परिसर में यू०पी०एस०आर०टी०सी० के स्वामित्व वाले 92 वृक्ष एवं वन विभाग के स्वामित्व वाले 11 वृक्ष कुल 103 वृक्ष है।
2. यह कि परिवहन निगम के स्वामित्व वाले 92 तथा वन विभाग के स्वामित्व वाले 11 कुल 103 वृक्षों के पातन हेतु परिवहन निगम इसके स्थान पर 10 गुना ट्री गार्ड सहित वृक्षों का रोपण परिवहन निगम लखनऊ क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न बस स्टेशनों/कार्यशालाओं/कार्यालयों में परिवहन निगम के व्यय पर लगाने का वचन देता है।
3. यह कि परिवहन निगम, लखनऊ क्षेत्र का क्षेत्रीय कार्यशाला, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है जहाँ पर वृक्षों का पातन होना है।

लखनऊ।

sworn and verified
Before me.

BRJENDRA KUMAR SAHU 29.01.2024
Advocate & Notary
CIVIL COURT, LUCKNOW

सत्यापन

मैं शपथी उपरोक्त सत्यापित करता हूँ कि शपथ पत्र की धारा 1 से 3 में वर्णित कथन शपथी की निजी जानकारी से सत्य व सही है। आज दिनांक 29.01.2024 को अपने हस्ताक्षर बनाकर सत्यापित किया।

लखनऊ।

दिनांक: 29.01.2024

काफ़ी प्रमाणित
82
प्रभागीय वनाधिकारी
लखनऊ

शपथी

शपथी

I identify the deponent and he has signed the declaration before me.
Notary Public

ANNEXURE-5



कार्यालय दूरभाष सं०: 0522-2716723
ई-मेल : dfolucknow@gmail.com
dfolu-up@nic.in

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
पत्रांक 6705/22-10, लखनऊ, दिनांक 22-02-2024.

सेवा में,

क्षेत्रीय प्रबन्धक,
उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम
लखनऊ क्षेत्र लखनऊ-226001.

विषय:- उ०प्र० परिवहन निगम, क्षेत्रीय कार्यशाला विभूतिखण्ड गोमतीनगर लखनऊ परिसर में पी०पी०पी० निर्माण कार्य में बाधक 92 हरे खड़े वृक्षों की पातन अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक-2521/क्षे०प्र०/पीपीपी-क्षेत्रीय कार्यशाला/वृक्ष पातन/2024, दिनांक 17-02-2024।

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, उ०प्र० परिवहन निगम, क्षेत्रीय कार्यशाला विभूतिखण्ड गोमतीनगर लखनऊ परिसर में पी०पी०पी० निर्माण कार्य में बाधक यू०पी०एस०आर०टी०सी० के स्वामित्व वाले कुल 92 हरे खड़े वृक्षों की पातन अनुमति हेतु उ०प्र० वृक्ष संरक्षण अधिनियम-1976 (यथा-संशोधित) एवं उ०प्र० शासन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-5 की शासनादेश संख्या 24/81-5-2020-07-93, दिनांक 07.01.2020 के प्राविधानों के अन्तर्गत आपने सन्दर्भित पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि उक्त 92 वृक्षों के पातन के बदले 10 गुना ट्रीगार्ड वृक्षारोपण कार्य बस स्टेशनों/कार्यशालाओं/कार्यालय परिसर में अपने व्यय पर करा दिया जायेगा। जमानत हेतु एफ०डी०आर० संख्या-240800PU00022878 दिनांक 16-02-2024 रू० 103000.00 एवं पातन अनुमति/मूल्यांकन शुल्क हेतु डिमाण्ड ड्राफ्ट सं०-285087 दिनांक 30-01-2024 रू० 13060.00 (पंजाब नेशनल बैंक) इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है।

उप प्रभागीय वनाधिकारी मोहनलालगंज एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी शहरी की जाँच आख्या एवं संस्तुति के अनुसार विषयक स्थल पर स्थित 92 हरे खड़े वृक्षों की पातन अनुज्ञा आपको इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है, कि उक्त वृक्षों के अतिरिक्त अन्य वृक्षों को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अथवा अवैध कटान होने पर पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

उक्त 92 हरे खड़े वृक्षों की पातन हेतु अवधि दिनांक 30-03-2024 तक अनुमन्य होगी। प्रकाष्ट के अभिवहन हेतु उ०प्र० अभिवहन नियमावली-1978 का अनुपालन कराना होगा।

(डा० रवि कुमार सिंह)
वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी,
अवध वन प्रभाग, लखनऊ।

पत्रांक-6705/22-10, तददिनांकित.

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-उप प्रभागीय वनाधिकारी मोहनलालगंज को उनकी संस्तुति के क्रम में।

2-क्षेत्रीय वन अधिकारी शहरी को उनकी संस्तुति पत्र सं०-674/22-10, दिनांक 18-12-2023 एवं इस कार्यालय पत्रांक-4809/22-10, दिनांक 21-12-2023 तथा पत्रांक-6320/22-10, दिनांक 09-02-2024 के क्रम में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि यू०पी०सी०आर०टी०सी० के स्वामित्व वाले 92 हरे खड़े वृक्षों का मूल्यांकन सूची सम्बन्धित को उपलब्ध कराते हुए कृत कार्यवाही से 01 प्रति इस कार्यालय में तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

उप प्रभागीय वनाधिकारी
लखनऊ

(डा० रवि कुमार सिंह)
वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी,
अवध वन प्रभाग लखनऊ।

121 प्रदेश राज्य औद्योगिक
वास प्राधिकरण

प्रभागीय वनाधिकारी,
अवध वन प्रभाग,
जनपद - लखनऊ।

परिष्ठा/सं/आ/स/संलग्नक-2 (308 वृक्षों के पातन)



निर्माण खण्ड- सप्तम
एच0आई0जी0-64-65, सेक्टर-डी
मानसरोवर कालोनी, कानपुर रोड़
लखनऊ-226012
दूरभाष : 0522-2436889
वेबसाइट : www.online upsida.com
E.Mail: cd7@upsida.co.in

ANNEXURE-6

सन्दर्भ सं०: 162 /एसआईडीए/वरि0प्र0(सि0)/लखनऊ/ दिनांक 15/5/2024

विषय :- औद्योगिक क्षेत्र सरोजनी नगर जनपद लखनऊ स्थित मे0 अशोका लिलैण्ड परिसर में
308 वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि औद्योगिक क्षेत्र सरोजनी नगर जनपद लखनऊ स्थित मे0 अशोका लिलैण्ड द्वारा वृक्षों के पातन हेतु प्राथमिकता के आधार पर निम्न फेजों में कुल 1268 वृक्षों का पातन कराये जाने हेतु इस कार्यालय के दिनांक 13.05.2025 ई-मेल के माध्यम से लिस्ट उपलब्ध कराई गई है।

उक्त के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि भूखण्ड के आवंटी मे0 अशोका लिलैण्ड के द्वारा चिन्हित भूमि पर बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कार्य प्रगति पर है। मे0 अशोका लिलैण्ड द्वारा दिये गये प्रस्तावित चरण में पी-1 में 83 वृक्ष, पी-2 में 195 वृक्ष तथा पी-3 में 30 वृक्ष अर्थात् कुल वृक्ष 308 के पातन/नीलामी हेतु आग्रह किया गया है जो कि अशोका लिलैण्ड को आवंटित भूमि परिसर में भवनों/शेडों के निर्माण में बाधक हो रहे है।

अतः आपसे अनुरोध है कि चिन्हित प्रथम फेज में 308 वृक्षों के पातन हेतु अतिशीघ्र अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें, जिससे मे0 अशोका लिलैण्ड के परिसर में आ रहे कुल 308 वृक्ष के पातन/नीलामी की कार्यवाही की जा सके।

संलग्नक :- यथोक्त।

5904
22-10
17/5/2024
भवदीय,
(राजीव कुमार)
वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल)

सन्दर्भ सं०: /एसआईडीए/वरि0प्र0(सि0)/लखनऊ/ दिनांक
प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एस), यूपीसीडा, मुख्यालय, कानपुर को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. प्रधान महा प्रबन्धक (एस), यूपीसीडा, मुख्यालय, कानपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. महा प्रबन्धक (के), यूपीसीडा, मुख्यालय, कानपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
4. वरिष्ठ प्रबन्धक (सि0-मु0), यूपीसीडा, मुख्यालय, कानपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
5. क्षेत्रीय वनाधिकारी, सरोजनी नगर रेंज, अवध वन प्रभाग, लखनऊ।

डा. प्रभागीय वनाधिकारी
लखनऊ

(राजीव कुमार)
वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल)

कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, उ०प्र० लखनऊ।
पत्रांक 9602/22-10(स्कूटर इण्डिया), लखनऊ, दिनांक 17-05-2024।

सेवा में,

वरिष्ठ प्रबंधक (सिविल),
उ०प्र०, राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
निर्माण खण्ड-सप्तम्,
एच०आई०जी०-64-65, सेक्टर-डी,
मानसरोवर कालोनी, कानपुर रोड,
लखनऊ-226012।

विषय:- औद्योगिक क्षेत्र सरोजनीनगर जनपद लखनऊ स्थित मे० अशोका लिलैण्ड (स्कूटर इण्डिया परिसर) में
308 वृक्षों के पातन हेतु संयुक्त निरीक्षण कराने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक-162/एसआईडीए/वरि०प्र०(सि०)/लखनऊ, दिनांक 15-05-2024।
महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र सरोजनीनगर जनपद लखनऊ स्थित मे० अशोका लिलैण्ड (स्कूटर इण्डिया परिसर) में 308 वृक्षों के पातन अनुमति हेतु अनुरोध किया गया है, जिसके क्रम में संयुक्त निरीक्षण हेतु दिनांक 18-05-2024 निर्धारित की जाती है। कृपया क्षेत्रीय वन अधिकारी सरोजनीनगर का सी०यू०जी० नं० 7839434284 एवं मो०नं० (8840837773) है, से सम्पर्क या आपसी सहमति से प्रभावित वृक्षों की संयुक्त निरीक्षण कराकर "संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट" मय हस्ताक्षर सहित उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(सितान्शु पाण्डेय)

प्रभागीय वनाधिकारी,
अवध वन प्रभाग, लखनऊ।

पत्रांक-9602/22-10, तददिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. उप प्रभागीय वनाधिकारी, मोहनलालगंज।
2. क्षेत्रीय वन अधिकारी सरोजनीनगर को मयसंलग्नक सहित इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त निर्धारित तिथि या आपसी सहमति से प्रभावित वृक्षों का संयुक्त निरीक्षण कर निर्धारित प्रपत्र में मयस्वामित्व संस्तुति सहित संयुक्त जाँच आख्या एवं मूल्यांकन सूची/सारांश प्रस्तुत करने के साथ ही इस कार्यालय पत्रांक-9326/22-10, दिनांक 07-05-2024 के साथ संलग्न कार्ययोजना के अनुसार वन विभाग द्वारा "नगर योजना के अन्तर्गत वर्ष 1993-94 में कराये गये वृक्षारोपण से सम्बन्धित वृक्ष संयुक्त जाँच रिपोर्ट में शामिल है अथवा नहीं ? की स्पष्ट सूचना भी उपलब्ध उप प्रभागीय वनाधिकारी मोहनलालगंज के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

दायालु प्रभागीय

उप प्रभागीय वनाधिकारी
लखनऊ

(सितान्शु पाण्डेय)

प्रभागीय वनाधिकारी,
अवध वन प्रभाग, लखनऊ।

कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, उ०प्र० लखनऊ।
पत्रांक १६५७/२२-१०(स्कूटर इण्डिया), लखनऊ, दिनांक १४-०५-२०२४।

सेवा में,

वरिष्ठ प्रबंधक (सिविल),
उ०प्र०, राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
निर्माण खण्ड-सप्तम्,
एच०आई०जी०-६४-६५, सेक्टर-डी,
मानसरोवर कालोनी, कानपुर रोड,
लखनऊ-२२६०१२।

विषय:- औद्योगिक क्षेत्र सरोजनीनगर जनपद लखनऊ स्थित मे० अशोका लिलैण्ड (स्कूटर इण्डिया परिसर) में
३०८ वृक्षों के पातन अनुमति शुल्क जमा करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक-१६२/एसआईडीए/वरि०प्र०(सि०)/लखनऊ, दिनांक १५-०५-२०२४।
महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र सरोजनीनगर जनपद लखनऊ स्थित मे० अशोका लिलैण्ड (स्कूटर इण्डिया परिसर) में ३०८ वृक्षों के पातन अनुमति हेतु अनुरोध किया गया है, जिसके क्रम में क्षेत्रीय वन अधिकारी सरोजनीनगर एवं उप प्रभागीय वनाधिकारी मोहनलालगंज द्वारा मौके स्थल पर स्थित ३०८ वृक्षों की संयुक्त जाँच करायी गयी। संयुक्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार मौके स्थल पर स्थित ३०८ हरे खड़े वृक्ष निर्माण कार्य में बाधक होने के कारण पातन हेतु संस्तुति की गयी है। उक्त वृक्षों पर यूपीसीडा लखनऊ का स्वामित्व है।

उ०प्र० वृक्ष संरक्षण अधिनियम-१९७६ (यथा-संशोधित) एवं उ०प्र० शासन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-५ की शासनादेश संख्या २४/८१-५-२०२०-०७-९३, दिनांक ०७.०१.२०२० के प्राविधानों के अन्तर्गत १० गुने वृक्षों के रोपण का प्राविधान है। अतः काटे गये ०१ वृक्ष के स्थान पर १० वृक्षों को रोपण कराना आवश्यक है। रोपण कराने के पश्चात् नियमानुसार जमानत धनराशि वापस कर दी जायेगी, रोपण न कराने की दशा में जमानत धनराशि वापस किया जाना सम्भव नहीं होगा। इस प्रकार ३०८X१०=३०८० वृक्षों हेतु रू० १००.०० प्रति वृक्ष की दर से रू० ३०८०००.०० की एन०एस०सी०/एफ०डी०आर० (६ वर्षीय) प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, लखनऊ के पदनाम पर बन्धक कर जमानत के रूप में एवं शासनादेशानुसार ३०८ वृक्षों के पातन अनुमति शुल्क रू० ४००४०.०० का डिमाण्ड ड्राफ्ट भी अलग से अधोहस्ताक्षरी के पदनाम पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(सितान्शु पाण्डेय)

प्रभागीय वनाधिकारी,
अवध वन प्रभाग लखनऊ।

पत्रांक-१६५७/२२-१०(स्कूटर इण्डिया), तददिनांकित.

प्रतिलिपि-निम्न को सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

१. उप प्रभागीय वनाधिकारी, मोहनलालगंज को उनकी संस्तुति के क्रम में।
२. क्षेत्रीय वन अधिकारी सरोजनीनगर को उनकी संस्तुति पत्र सं०-८२२/२२, दिनांक १४-०५-२०२४ के क्रम में उक्त वृक्षों का अवैध पातन न होने प्राये।

दायाँ प्रतिपत्रित

उप प्रभागीय वनाधिकारी
लखनऊ

(सितान्शु पाण्डेय)

प्रभागीय वनाधिकारी,
अवध वन प्रभाग लखनऊ।



कार्यालय

क्षेत्रीय वन अधिकारी, सरोजनीनगर रेंज

स्कूटर इंडिया (पिपरसन्ड मार्ग), सरोजनीनगर, सी.यू.जी. मो. नं. : 7839434284

अवध वन प्रभाग, लखनऊ

दिनांक...18.05.2024...

पत्रांक 022/22-10

सेवा सं.

प्रशासकीय वनाधिकारी

अवध वन प्रभाग

लखनऊ

विषय:- औद्योगिक क्षेत्र सरोजनीनगर जगद लखनऊ स्थित मे. ठशोक लिमिटेड (स्कूटर इंडिया पोरलर) में 308 वृक्षों के पतन हेतु संयुक्त निरीक्षण करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ- कार्यालय क्र. वना. अ. व. प्र. का पत्रांक 9602/22-10 (स्कूटर इंडिया) दिनांक 17.05.24

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के उभय में सरोजनीनगर रेंज के अन्तर्गत 308 वृक्षों को कि औद्योगिक क्षेत्र सरोजनीनगर लखनऊ मे. ठशोक लिमिटेड स्कूटर इंडिया पोरलर में स्थित है। में प्रभावित वृक्षों की संयुक्त जांच सेक्शन प्रभारी श्री अमनीश सिंह चौधरी उपक्षेत्रीय वन अधिकारी, बीट प्रभारी श्री अमनीश सिंह के अधिकारी। कार्यवाही इस संयुक्त रूप से करवाई गयी। उक्त स्थल पर स्थित 308 वृक्षों की संयुक्त निरीक्षण आख्या, जांच रिपोर्ट व सूचकांक सूची-1 व 2 निम्नोक्त प्रारूप में संलग्न कर प्रेषित की जाती है। उक्त 308 वृक्षों के सूचकांक की वकालत रूप में 017616=00 है।

महोदय उक्त प्रभावित 308 वृक्ष कार्यभार के अनुसार वन विभाग द्वारा नगर योजना के अन्तर्गत वर्ष 1993-94 में कराए गए वृक्षारोपण से सम्बन्धित वृक्ष संलग्न संयुक्त जांच रिपोर्ट में शामिल नहीं है।

अतः उपरोक्त 308 वृक्षों के पतन की संस्तुति लाहल रिपोर्ट प्रपत्राई एवं माफरयुक्त कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक:- संयुक्त जांच रिपोर्ट।
सूचकांक सूची-1 व 2।

अक्षदीय

क्षेत्रीय वन अधिकारी
सरोजनी नगर रेंज
लखनऊ

हाथ
18/5/24

महोदय
क्षेत्रीय वन अधिकारी
सरोजनीनगर रेंज
लखनऊ
उप प्रशासकीय वनाधिकारी
मोहनसालका।

जांच रिपोर्ट

- सन्दर्भ- कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी अवध वन प्रभाग का पत्रांक 9602/22-10 (स्कू0 इण्डिया) दिनांक 17/05/2024
- रेंज का नाम- सरोजनी नगर
- सेक्सन का नाम- अमौसी
- प्रकरण से सम्बन्धित क्षेत्र का नाम- औद्योगिक क्षेत्र सरोजनी नगर, जनपद लखनऊ स्थित स्कूटर इण्डिया परिसर, लखनऊ।
- वृक्ष के स्वामित्व की स्थिति- यूपीसीडा (उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण)।
- वृक्ष से सम्बन्धित सील व वैधानिक स्थिति संरक्षित वन / आरक्षित वन अन्य
- जांच का दिनांक- 17/05/2024
- जांच का विवरण-

क्र.सं.	वृक्ष की प्रजाति	वृक्ष की परिधि (मीटर में)	व्यास वर्ग	भौतिक दशा	वृक्ष पातन किए जाने का कारण
1	ताड़	0.95	30-40	हरा खड़ा	उपरोक्त वृक्ष निर्माण कार्य में बाधक है।
2	कचनार	0.40	10-20	हरा खड़ा	उपरोक्त वृक्ष निर्माण कार्य में बाधक है।
3	जामुन	0.42	10-20	हरा खड़ा	उपरोक्त वृक्ष निर्माण कार्य में बाधक है।
4	जामुन	0.40	10-20	हरा खड़ा	उपरोक्त वृक्ष निर्माण कार्य में बाधक है।
5	जामुन	0.38	10-20	हरा खड़ा	उपरोक्त वृक्ष निर्माण कार्य में बाधक है।
6	नीम	1.00	30-40	हरा खड़ा	उपरोक्त वृक्ष निर्माण कार्य में बाधक है।
7	जामुन	1.10	30-40	हरा खड़ा	उपरोक्त वृक्ष निर्माण कार्य में बाधक है।
8	जामुन	0.50	10-20	हरा खड़ा	उपरोक्त वृक्ष निर्माण कार्य में बाधक है।
9	नीम	0.65	20-30	हरा खड़ा	उपरोक्त वृक्ष निर्माण कार्य में बाधक है।
10	बैर	0.56	10-20	हरा खड़ा	उपरोक्त वृक्ष निर्माण कार्य में बाधक है।
11	शीशम	0.65	20-30	हरा खड़ा	उपरोक्त वृक्ष निर्माण कार्य में बाधक है।
12	शीशम	1.22	30-40	सूखा खड़ा	उपरोक्त वृक्ष निर्माण कार्य में बाधक है।
13	शीशम	0.70	20-30	हरा खड़ा	उपरोक्त वृक्ष निर्माण कार्य में बाधक है।
14	शीशम	0.80	20-30	हरा खड़ा	उपरोक्त वृक्ष निर्माण कार्य में बाधक है।
15	बैर	0.80	20-30	हरा खड़ा	उपरोक्त वृक्ष निर्माण कार्य में बाधक है।
16	शीशम	1.95	60-70	हरा खड़ा	उपरोक्त वृक्ष निर्माण कार्य में बाधक है।
17	बबूल	0.90	20-30	हरा खड़ा	उपरोक्त वृक्ष निर्माण कार्य में बाधक है।
18	नीम	0.95	30-40	हरा खड़ा	उपरोक्त वृक्ष निर्माण कार्य में बाधक है।
19	शीशम	0.70	20-30	सूखा खड़ा	उपरोक्त वृक्ष निर्माण कार्य में बाधक है।
20	शीशम	1.60	50-60	सूखा खड़ा	उपरोक्त वृक्ष निर्माण कार्य में बाधक है।
21	नीम	0.95	30-40	हरा खड़ा	उपरोक्त वृक्ष निर्माण कार्य में बाधक है।
22	बरगद	5.00	70 से ऊपर	हरा खड़ा	उपरोक्त वृक्ष निर्माण कार्य में बाधक है।
23	युकलिप्टस	0.50	15-20	हरा खड़ा	उपरोक्त वृक्ष निर्माण कार्य में बाधक है।

जांच प्रति जमा किया गया है

84

उप प्रभागीय वनाधिकारी
लखनऊ

17/05/2024
उप प्रभागीय वनाधिकारी
लखनऊ

AR
Anshu Kumar
उप प्रभागीय वनाधिकारी
लखनऊ

क्षेत्रीय वन अधिकारी
सरोजनी नगर
लखनऊ

58	यूकेलिप्टस	0.95	30-35	हरा खड़ा	उपरोक्त वृक्ष निर्माण कार्य में बाधक है।
59	यूकेलिप्टस	0.50	15-20	हरा खड़ा	उपरोक्त वृक्ष निर्माण कार्य में बाधक है।
60	यूकेलिप्टस	1.80	55-60	हरा खड़ा	उपरोक्त वृक्ष निर्माण कार्य में बाधक है।
61	यूकेलिप्टस	0.65	20-25	हरा खड़ा	उपरोक्त वृक्ष निर्माण कार्य में बाधक है।
62	यूकेलिप्टस	1.68	50-55	हरा खड़ा	उपरोक्त वृक्ष निर्माण कार्य में बाधक है।
63	यूकेलिप्टस	0.58	15-20	हरा खड़ा	उपरोक्त वृक्ष निर्माण कार्य में बाधक है।
64	सिरसा	0.90	20-30	हरा खड़ा	उपरोक्त वृक्ष निर्माण कार्य में बाधक है।
65	यूकेलिप्टस	0.58	15-20	हरा खड़ा	उपरोक्त वृक्ष निर्माण कार्य में बाधक है।
66	यूकेलिप्टस	0.98	30-35	सूखा खड़ा	उपरोक्त वृक्ष निर्माण कार्य में बाधक है।
67	नीम	1.05	30-40	हरा खड़ा	उपरोक्त वृक्ष निर्माण कार्य में बाधक है।
68	शीशम	1.60	50-60	हरा खड़ा	उपरोक्त वृक्ष निर्माण कार्य में बाधक है।
69	शीशम	1.45	40-50	हरा खड़ा	उपरोक्त वृक्ष निर्माण कार्य में बाधक है।
70	मदीना	0.56	10-20	हरा खड़ा	उपरोक्त वृक्ष निर्माण कार्य में बाधक है।
71	मदीना	0.62	10-20	हरा खड़ा	उपरोक्त वृक्ष निर्माण कार्य में बाधक है।
72	मदीना	0.60	10-20	हरा खड़ा	उपरोक्त वृक्ष निर्माण कार्य में बाधक है।
73	मदीना	0.56	10-20	हरा खड़ा	उपरोक्त वृक्ष निर्माण कार्य में बाधक है।
74	मदीना	0.90	20-30	हरा खड़ा	उपरोक्त वृक्ष निर्माण कार्य में बाधक है।
75	मदीना	0.56	10-20	हरा खड़ा	उपरोक्त वृक्ष निर्माण कार्य में बाधक है।
76	मदीना	0.90	20-30	हरा खड़ा	उपरोक्त वृक्ष निर्माण कार्य में बाधक है।
77	मदीना	2.30	70 से ऊपर	हरा खड़ा	उपरोक्त वृक्ष निर्माण कार्य में बाधक है।
78	मदीना	0.45	10-20	हरा खड़ा	उपरोक्त वृक्ष निर्माण कार्य में बाधक है।
79	मदीना	0.78	20-30	हरा खड़ा	उपरोक्त वृक्ष निर्माण कार्य में बाधक है।
80	गूलर	1.00	30-40	हरा खड़ा	उपरोक्त वृक्ष निर्माण कार्य में बाधक है।
81	मदीना	1.30	40-50	हरा खड़ा	उपरोक्त वृक्ष निर्माण कार्य में बाधक है।
82	जामुन	0.40	10-20	हरा खड़ा	उपरोक्त वृक्ष निर्माण कार्य में बाधक है।
83	चिलविल	1.00	30-40	हरा खड़ा	उपरोक्त वृक्ष निर्माण कार्य में बाधक है।
84	गूलर	1.55	40-50	हरा खड़ा	उपरोक्त वृक्ष निर्माण कार्य में बाधक है।
85	शीशम	0.54	10-20	हरा खड़ा	उपरोक्त वृक्ष निर्माण कार्य में बाधक है।
86	शीशम	0.92	20-30	हरा खड़ा	उपरोक्त वृक्ष निर्माण कार्य में बाधक है।
87	शीशम	0.90	20-30	हरा खड़ा	उपरोक्त वृक्ष निर्माण कार्य में बाधक है।
88	यूकेलिप्टस	0.60	15-20	सूखा खड़ा	उपरोक्त वृक्ष निर्माण कार्य में बाधक है।
89	सिरसा	0.45	10-20	हरा खड़ा	उपरोक्त वृक्ष निर्माण कार्य में बाधक है।
90	सिरसा	0.46	10-20	हरा खड़ा	उपरोक्त वृक्ष निर्माण कार्य में बाधक है।
91	कचनार	1.38	40-50	हरा खड़ा	उपरोक्त वृक्ष निर्माण कार्य में बाधक है।

उप प्रभागीय वन अधिकारी
लखनऊ

Manager
UPSDM,
Lakhnau

AK
(20/03/2018)

Anshu Yadav
(20/03/2018)

क्षेत्रीय वन अधिकारी
सरोजनी नगर
लखनऊ

92	कचनार	0.45	10-20	हरा खड़ा	उपरोक्त वृक्ष निर्माण कार्य में बाधक है।
93	सिरसा	0.40	10-20	हरा खड़ा	उपरोक्त वृक्ष निर्माण कार्य में बाधक है।
94	जामुन	0.40	10-20	हरा खड़ा	उपरोक्त वृक्ष निर्माण कार्य में बाधक है।
95	जामुन	0.40	10-20	हरा खड़ा	उपरोक्त वृक्ष निर्माण कार्य में बाधक है।
96	बबूल	0.60	10-20	हरा खड़ा	उपरोक्त वृक्ष निर्माण कार्य में बाधक है।
97	सिरसा	0.83	20-30	हरा खड़ा	उपरोक्त वृक्ष निर्माण कार्य में बाधक है।
98	कचनार	1.12	30-40	हरा खड़ा	उपरोक्त वृक्ष निर्माण कार्य में बाधक है।
99	सिरसा	2.50	70 से ऊपर	हरा खड़ा	उपरोक्त वृक्ष निर्माण कार्य में बाधक है।
100	सिरसा	1.20	30-40	हरा खड़ा	उपरोक्त वृक्ष निर्माण कार्य में बाधक है।
101	सिरसा	0.60	10-20	हरा खड़ा	उपरोक्त वृक्ष निर्माण कार्य में बाधक है।
102	नीम	0.65	20-30	हरा खड़ा	उपरोक्त वृक्ष निर्माण कार्य में बाधक है।
103	सिरसा	0.92	20-30	हरा खड़ा	उपरोक्त वृक्ष निर्माण कार्य में बाधक है।
104	नीम	1.10	30-40	हरा खड़ा	उपरोक्त वृक्ष निर्माण कार्य में बाधक है।
105	नीम	1.30	40-50	हरा खड़ा	उपरोक्त वृक्ष निर्माण कार्य में बाधक है।
106	नीम	1.30	40-50	हरा खड़ा	उपरोक्त वृक्ष निर्माण कार्य में बाधक है।
107	कचनार	1.70	50-60	हरा खड़ा	उपरोक्त वृक्ष निर्माण कार्य में बाधक है।
108	सिरसा	0.69	20-30	हरा खड़ा	उपरोक्त वृक्ष निर्माण कार्य में बाधक है।
109	नीम	0.92	20-30	हरा खड़ा	उपरोक्त वृक्ष निर्माण कार्य में बाधक है।
110	नीम	0.68	20-30	हरा खड़ा	उपरोक्त वृक्ष निर्माण कार्य में बाधक है।
111	नीम	1.50	40-50	हरा खड़ा	उपरोक्त वृक्ष निर्माण कार्य में बाधक है।
112	नीम	0.90	20-30	हरा खड़ा	उपरोक्त वृक्ष निर्माण कार्य में बाधक है।
113	नीम	0.56	10-20	सूखा खड़ा	उपरोक्त वृक्ष निर्माण कार्य में बाधक है।
114	यूकेलिप्टस	0.50	15-20	हरा खड़ा	उपरोक्त वृक्ष निर्माण कार्य में बाधक है।
115	यूकेलिप्टस	0.75	20-25	हरा खड़ा	उपरोक्त वृक्ष निर्माण कार्य में बाधक है।
116	यूकेलिप्टस	1.20	35-40	हरा खड़ा	उपरोक्त वृक्ष निर्माण कार्य में बाधक है।
117	यूकेलिप्टस	1.00	30-35	हरा खड़ा	उपरोक्त वृक्ष निर्माण कार्य में बाधक है।
118	यूकेलिप्टस	1.38	40-45	हरा खड़ा	उपरोक्त वृक्ष निर्माण कार्य में बाधक है।
119	सिरसा	1.35	40-50	हरा खड़ा	उपरोक्त वृक्ष निर्माण कार्य में बाधक है।
120	कचनार	1.00	30-40	हरा खड़ा	उपरोक्त वृक्ष निर्माण कार्य में बाधक है।
121	यूकेलिप्टस	1.20	35-40	हरा खड़ा	उपरोक्त वृक्ष निर्माण कार्य में बाधक है।
122	सिरसा	0.58	10-20	हरा खड़ा	उपरोक्त वृक्ष निर्माण कार्य में बाधक है।
123	यूकेलिप्टस	0.50	15-20	हरा खड़ा	उपरोक्त वृक्ष निर्माण कार्य में बाधक है।
124	यूकेलिप्टस	0.32	10-15	हरा खड़ा	उपरोक्त वृक्ष निर्माण कार्य में बाधक है।
125	यूकेलिप्टस	1.45	45-50	हरा खड़ा	उपरोक्त वृक्ष निर्माण कार्य में बाधक है।

एक प्रति प्रेषित
है।

उप प्रभागीय वनाधिकारी
लखनऊ

11/11/2017

AK
(रुकु के सिंह चौहान)
30 क्षेत्र वन-क्षेत्र

Anshu yadav
(अनु यादव)
व.क्षेत्र

क्षेत्रीय वन अधिकारी
सरोजनी नगर
लखनऊ

ANNEXURE-9

सन्दर्भ सं०: /एसआईडीए/वरि0प्र0(सि0)/लखनऊ/ दिनांक

विषय :- औद्योगिक क्षेत्र सरोजनी नगर जनपद लखनऊ स्थित मे0 अशोका लिलैण्ड (स्कूटर इण्डिया) में 308 वृक्षों के पातन अनुमति शुल्क जमा कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र सं० 9647/22-10 (स्कूटर इण्डिया), लखनऊ दिनांक 18.05.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र सरोजनी नगर स्थित स्कूटर इण्डिया परिसर अशोक लिलैण्ड को आवंटित भूखण्ड में 308 पेड़ों/वृक्षों के पातन हेतु आप द्वारा अवगत कराया गया है कि काटे जाने वाले 308 वृक्षों के स्थान पर 10 गुना वृक्षों के रोपड़ कराये जाने आवश्यक है। रोपण कराने के पश्चात नियमानुसार जमानत धनराशि वापस कर दी जाएगी तथा रोपण न कराने की दशा में जमानत धनराशि वापस किया जाना सम्भव नहीं होगा। इस कार्य हेतु रु० 100.00 प्रतिवृक्ष की दर से रु० 3,08,000.00 की एफ०डी०आर० (6 वर्षीय) बन्धक कर जमानत के रूप में एवं 308 वृक्षों के पातन हेतु अनुमति/मूल्यांकन शुल्क के रूप में डी.डी. अलग से प्रभागीय वनाधिकारी के पदनाम पर रु० 40040.00 जमा कराने हेतु अवगत कराया गया है।

तत्क्रम में उपरोक्त कार्य हेतु धनराशि रु० 308000.00 का एफ०डी०आर० सं० 536503030069013 दिनांक 21.05.2024 एवं धनराशि रु० 40040.00 का डी.डी. सं० 428562 दिनांक 21.05.2024 आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक :- उपरोक्त डी.डी. एवं एफ.डी.आर. की मूल प्रति।

भवदीय,

(राजीव कुमार)
वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल)

सन्दर्भ सं०: 179(iv) /एसआईडीए/वरि0प्र0(सि0)/लखनऊ/ दिनांक 21/5/2024

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एस), यूपीसीडा, मुख्यालय, कानपुर को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. प्रधान महा प्रबन्धक (एस), यूपीसीडा, मुख्यालय, कानपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. महा प्रबन्धक (के), यूपीसीडा, मुख्यालय, कानपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
4. उप प्रभागीय वनाधिकारी, मोहनलालगंज, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
5. क्षेत्रीय वनाधिकारी, सरोजनी नगर रेंज, अवध वन प्रभाग, लखनऊ।

द्वारा प्रेषित

उप प्रभागीय वनाधिकारी
लखनऊ

(राजीव कुमार)
वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल)



736
प्रभागी
अवध
जनप

(Scan this for Deposit Details)

(Scan this for Terms & Conditions)

LUCKNOW PUBLIC SCHOOL LDA COL
TERM DEPOSIT ADVICE
(in lieu of Term Deposit Receipt)

New

Advice No: DAP53650000000000000000114970
Date: 21.05.2024

Dear Sir/Madam,
We have pleasure in confirming your deposit held with us, the details of which are as shown below.
Your FD account no. 536503030069013 Please quote this in all future correspondences.
Thank you for banking with us.

A Customer Names 1) PRABHAGIYA VAN ADHIKARI 2) AWADH VAN PRABHAG. LUCKNOW A/C UPSIDA 3)
CIF Number: 116658741
Mode of Operation: AUTHORISED SIGNATORY
Scheme: DRIC-DEP.REINVEST.CERT.
Maturity instructions: Renewal
Frequency of Interest payment: Half-Yearly
Credit Interest & maturity proceeds to account no.:
Nominee(s) Name/Reg no.:
Reverse Account No.: 310960030305635
N

प्रभागी
अवध
जनप

TDR a/c No.	Tenure	Interest Rate	Principal Amt	Value Date	Maturity Date	Maturity Value
536503030069013	72 Months 0 Days	6.5	308000	21-05-2024	21-05-2030	453486

B Terms and Conditions for TDR

- (1) This term deposit advice is not transferable.
- (2) Please inform us of any change in your Resident/Non-Resident status as and when such change takes place. The status declaration on the account opening form shall remain in force until such time as a change is advised to us.
- (3) The account number given in the term deposit advice only needs to be quoted with your instructions to us in all future communication by the depositor/s. There is no need to physically send this term deposit advice.
- (4) Payment of interest is subject to Tax at Source (TDS) as per Income Tax rules in case of domestic deposits.
- (5) Please furnish proof of PAN to avoid TDS at higher rates, as per Income Tax rules.
- (6) If you are exempt from TDS, please furnish the duplicate form 15G/H as applicable in the month of April of each financial year. The facility for online submission of Form 15G/H is also available.
- (7) The Maturity date is recorded on the certificate to enable the depositors to receive the maturity on the due date. The Bank is not bound to give further intimation of the due date.
- (8) Interest on the deposits withdrawn before the maturity date will be paid at the rate applicable to the period for which the deposit has run or the contracted rate whichever is lower. The bank reserves the right to charge a penalty for pre-mature withdrawal or extension of deposit.
- (9) Term Deposit will be disposed off according to the maturity instructions given at the time of opening of the deposit. In case of auto renewal, the deposit will be renewed for the same duration for which it was originally kept, at the rate of interest prevailing on the date of renewal for that duration, if auto renewal instructions are given, the instructions will continue to be executed till the maturity of the deposit account holder/s.
- (10) Monthly interest is paid at a discounted rate.
- (11) Please note the above terms and conditions are subject to change from time to time.



कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, उ०प्र० लखनऊ।
पत्रांक 8576/22-10(स्कूटर इण्डिया), लखनऊ, दिनांक 8-05-2025।

सेवा में,

वरिष्ठ प्रबंधक (सिविल),
उ०प०, राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
निर्माण खण्ड-सप्तम,
एच०आई०जी०-64-65, सेक्टर-डी,
मानसरोवर कालोनी, कानपुर रोड लखनऊ-226012।

विषय:- औद्योगिक क्षेत्र सरोजनीनगर जनपद, लखनऊ में स्थित मे० अशोका लिलैण्ड (स्कूटर इण्डिया परिसर) में निर्माण कार्य में बाधक 308 वृक्षों के पातन के बदले 10 गुना वृक्षारोपण कराने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- इस कार्यालय पत्रांक-6977/22-10, दिनांक 24-05-2024 एवं पत्रांक-7617/22-10, दिनांक 27-03-2025.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र सरोजनीनगर जनपद लखनऊ में स्थित मे० अशोका लिलैण्ड (स्कूटर इण्डिया परिसर) में प्रस्तावित निर्माण कार्य में बाधक 308 वृक्षों के पातन अनुमति के बदले 10 गुना 3080 वृक्षों का वृक्षारोपण विगत वर्षाकाल में कराकर स्थलवार, प्रजातिवार, सूचना उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी थी, परन्तु आप द्वारा आज तक उपलब्ध नहीं कराये जाने के अग्रिम कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। ज्ञातव्य हो कि प्रकरण मा० एन०जी०टी० से आच्छादित है।

अतः मौके स्थल पर निर्माण कार्य में बाधक 308 वृक्षों के पातन के बदले 10 गुना अर्थात् 3080 वृक्षों का वृक्षारोपण कराकर स्थलवार, प्रजातिवार, सूचना तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(सितान्सु पाण्डेय)

प्रभागीय वनाधिकारी,
अवध वन प्रभाग, लखनऊ।

पत्रांक- 8576/22-10(स्कूटर इण्डिया), तद्दिनांकित.

प्रतिनिधि-निर्मातृनिधित को उक्त सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. उप प्रभागीय वनाधिकारी, मोहनलालगंज।
2. क्षेत्रीय वन अधिकारी, सरोजनीनगर।

द्वारा प्रति प्रेषित

(सितान्सु पाण्डेय)

प्रभागीय वनाधिकारी,
अवध वन प्रभाग, लखनऊ।